आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

13.5.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0– 08/2014–15
103/2015–16

सत्यनारायण मंडल, पिता–हीरालाल मंडल, सा0–भिड़भिड़ी,
थाना–सिकटी, जिला–अररिया – पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

सीताराम यादव, पिता–मोतीलाल मंडल, सा0–भिड़भिड़ी,
थाना–सिकटी, जिला–अररिया एवं अन्य – उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आवेदक श्री सत्यनारायण मंडल, पिता–हीरा लाल मंडल, सा0–भीड़भीड़ी, थाना–सिकटी, जिला–अररिया द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 214/2012–13 / 120/2013–14 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 28.09.2013 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 17.06.2014 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 27.06.2014 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया और दिनांक 18.08.2015 को विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा
भिड़भीड़ी अंचल–सिकटी	204	3210	62 डी0

समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय द्वारा विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया। उसके उपरांत विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात दिनांक 09.04.2016 को उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का खतियानी रकबा 93 डी0 का खतियान मोती लाल यादव के नाम से दर्ज है। मोती लाल यादव अपने पीछे एक पुत्र सीताराम यादव एवं दो पुत्री संझा देवी एवं अंगिया देवी को छोड़कर मृत हुये। अंगिया देवी की भी मृत्यु होने के पश्चात् उनके वारिसान सुरेन यादव वो वीरेन यादव वगैरह थे। इस प्रकार मोती लाल यादव के सभी वरिशानों को ब हिस्सा बराबर यानि प्रत्येक को 5 आना 4 पाई का हिस्सा प्राप्त हुआ। स्व0 मोती लाल यादव की पुत्री संझा देवी एवं अंगिया देवी के वारिशान सुरेन यादव वगैरह से प्रथम पक्ष ने

उनके हिस्से का प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित केवाला सं0 3246, दिनांक 10.04.2008 द्वारा क्रय कर दखलकार हुआ।

इनका यह भी कहना है कि खतियानी रैयत मोती लाल यादव के पुत्र सीता राम यादव जो इस वाद में द्वितीय पक्ष है ने वर्ष 1977 ई0 में प्रश्नगत भूमि कुल रकबा 93 डी0 जुगबनिया देवी के हाथ बिक्री कर दी। पुनः वर्ष 2011–12 में दिनांक 22.11.2011 को सीताराम यादव ने प्रश्नगत खतियानी रकबा 93 डी0 जुगबनिया देवी से वापस केवाला द्वारा प्राप्त किया और उसका दाखिल–खारिज नामान्तरण वाद सं0 1076/2011–12 द्वारा करा लिया। जिसके विरूद्ध प्रथम पक्ष द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 214/2012–13 दाखिल किया गया। जिसे विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा सक्षम न्यायालय का मामला बताते हुए उनके अपील को खारिज कर दिया गया। जबकि प्रथम पक्ष द्वारा खतियानी रैयत के वैद्य उत्तराधिकारी पुत्री एवं नाती से उनके हिस्से के अनुसार वादग्रस्त भूमि को वर्ष 2008 में ही क्रय किया गया है। जिसकी अनदेखी कर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है, उसे रद्द कर पुनरीक्षणकर्त्ता के आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत मोतीलाल यादव थे, जिन्हें कोई पुत्री नहीं थी। एक मात्र पुत्र द्वितीय पक्ष सीताराम यादव थे, जिन्होंने अपने दखली के दौरान प्रश्नगत खेसरा का कुल 93 डी0 भूमि निबंधित केवाला द्वारा वर्ष 1977 ई0 में प्रथम पक्ष की माँ जुगमनिया देवी, पति–हीरालाल मंडल को उचित मूल्य प्राप्त कर बिक्री कर दिया था। जिसका दाखिल–खारिज होकर जुगमनियाँ देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज हुआ। जिसपर ये खास दखलकार हुई।

इनका यह भी कहना है कि जुगमनिया देवी को पति एवं पुत्र द्वारा घर से निकाल दिये जाने पर पैसे की आवश्यकता होने पर जुगमनिया देवी द्वारा प्रश्नगत भूमि उन्हें उचित मूल्य प्राप्त कर बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 9854, दिनांक 22.11.2011 द्वारा द्वितीय पक्ष को बिक्री कर दिया गया। जिसपर द्वितीय पक्ष दखलकार होते हुए विधिवत नामान्तरण वाद सं0 1076/2011–12 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा दाखिल निम्न न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 214/2012–13 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा द्वितीय पक्ष के दावे एवं दखल को सही पाते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, उसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के दावे को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों का गहन परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रकबा 93 डी0 का खतियान मोती लाल मंडल के नाम से दर्ज था। जिसके मृत्युपरांत उनके पुत्र सीताराम यादव द्वारा वर्ष 1977

13.5.16

में दस्तावेज सं0 2555, दिनांक 07.02.1977 द्वारा प्रश्नगत भूमि का कुल रकबा 93 डी0 जुगमनिया देवी, पति–हीरालाल मंडल को बिक्री कर दिया गया। जिसकी जमाबंदी सं0 1152 जुगमनिया देवी के नाम से सृजित हो गयी थी। तत्पश्चात वर्ष 2008 में जुगमनिया देवी के पुत्र सत्यनारायण मंडल ने खतियानी रैयत मोतीलाल मंडल की पुत्री संझा देवी एवं नाती वीरेन्द्र यादव वो सुरेन्द्र यादव (पुत्र अंगिया देवी) से उनके हिस्से की प्रश्नगत जमीन 62 डी0 दस्तावेज सं0 3246 दिनांक 10.04.2008 द्वारा क्रय कर लिया। यहाँ यह स्पष्ट है कि जब प्रश्नगत भूमि पूर्व में ही जुगमनिया देवी के नाम खतियानी रैयत के पुत्र द्वारा बिक्री कर दी गई तो पुनः उनके अन्य वारिसान द्वारा बिना पूर्व विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये बिना हक एवं स्वत्व अधिकार घोषित हुए उसी जमीन की बिक्री की गई, जो विधि सम्मत नहीं है। तत्पश्चात जुगमनिया देवी को वर्ष 2011 में पैसे की आवश्यकता हुई। उन्होंने विपक्षी सीताराम यादव को प्रश्नगत जमीन निबंधित दस्तावेज सं0 9854, दिनांक 22.11.2011 द्वारा बिक्री कर दिया। जिसकी जमाबंदी नामान्तरण वाद सं0 1076/2011–12 द्वारा विपक्षी सीताराम यादव के पक्ष में दर्ज किया गया है। जहाँ तक खतियानी रैयत स्व0 मोती लाल यादव के अन्य वारिशान संझा देवी एवं अंगिया देवी के हिस्से का प्रश्न है तो इसके लिये यह न्यायालय सक्षम नहीं है।

अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पारित आदेश दिनांक 28.09.2013 को विधि सम्मत पाते हुए उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया एवं अंचलाधिकारी, सिकटी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 81 (न्या0)/रा0, अररिया, दिनांक 13/05/2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को निम्न न्यायालय का नामातन्तरण अपील वाद सं0 214/2012–13 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिप : अंचल अधिकारी, सिकटी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

13.5.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया